८१०

(९५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **महेश चन्द्र चौधरी**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-532-तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 01-02-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 703/निगरानी/2007-08

---

1. सूर्यबली प्रसाद, पिता स्व0 शीतला प्रसाद
2. अवधशरण, पिता स्व0 शीतला प्रसाद
3. राजबहोर पिता द्रिजराज प्रसाद,

निवासीगण – ग्राम जिउला, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. जगदीश प्रसाद पिता स्व0 श्री सियम्बरराम (मृत वारिसान)
   - I. श्रीमती गणेश देवी पत्नि स्व0 जगदीश प्रसाद
   - II. राजकुमार दुबे पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद
   - III. शिवकुमार दुबे पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद
   - IV. श्रीमती बेलाकली पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद पत्नि मिठाई लाल
     निवासी:- ग्राम बछरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र.
2. कौशल प्रसाद पिता स्व0 श्री सियम्बरराम (मृत वारिसान)
   - I. कृष्णकुमार पुत्र स्व0 कौशल प्रसाद
     निवासी:- ग्राम जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा
   - II. श्रीमती रामकली पत्नी रामसजीवन पुत्री स्व0 कौशल प्रसाद
     निवासी:- ग्राम दुबहाई तहसील मनगंवा जिला रीवा म.प्र.
   - III. विश्वनाथ प्रसाद पुत्र स्व0 कौशल प्रसाद
     निवासी:- ग्राम जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा
3. त्रिवेणी प्रसाद पिता स्व0 श्री सियम्बरराम

निवासीगण- जिउला तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र. ....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20.8.19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 01-02-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा समक्ष धारा 90 के तहत ग्राम रवहरी की भूमि खसरा नम्बर 519 रकबा 0.80 एकड़ पर भूमि स्वामी दर्ज किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 09-09-1998 को आवेदकगण को भूमि स्वामी दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावदेकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15-04-2008 को अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम का आवदेन स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम निगरानी कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत की । कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 31-05-2008 को आदेश पारित कर निगरानी आवेदन खारिज किया गया । कलेक्टर रीवा के आदेश के विरूद्ध द्वितीय निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 01-02-2014 को आदेश पारित कर निगरानी आवेदन खारिज किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क समर्थन में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने यह मानने में एक भूल की थी कि विचारण न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को विविधवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया गया था जबकि विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न अनावेदकगण को भेजे गये सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अनावेदकगण को विधिवत सूचना पत्र व सम्मन भेजकर प्रकरण में आदेश पारित किया था जिससे यह कदापि नहीं माना जा सकता कि विचारण न्यायालय में अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया था। उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयने इस बात पर कतई विचार नहीं किया कि अपर कलेक्टर रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, का प्रकरण बिना तलब किये

ही सरसरी तौर से दायरा के समय निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त करने का आदेश पारित किया था । जो एक गंभीर अनियमितता थी जिस बात को दृष्टिओझल करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है । उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सम्मन भेजे गये थे जिन सम्मन को लेने से अनावेदकगण द्वारा इंकार किया गया। इसके उपरांत अनावेदकगण पर जरिये चस्पानगी सम्मन की तामीली कराई गयी थी इसके उपरांत भी जब अनावेदकगण तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तब तहसील न्यायालय को अनावेदकगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करनी पड़ी।ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया था। उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 09/09/1998 को आदेश पारित किया गया था व अनावेदकगण द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ 4 वर्ष 18 दिन के विलंब से दिनांक 26/10/2002 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उनके द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि 10/10/2002 को खसरे की नकल पटवारी से ली गई। उक्त खसरे की इत्तलायाबी में आदेश का उल्लेख मिला तब दिनांक 25/10/2002 को आदेश की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की। उक्त तथ्यों के समर्थन में पटवारी द्वारा दिये गये। गस्ती खसरे की नकल भी अनावेदगण ने अपील में प्रस्तुत की थी। जिसमें खसरे की नकल देने की दिनांक 10/10/1998 पटवारी ने लेख किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण को पटवारी द्वारा खसरे की नकल आदेश से 1 माह पश्चात ही मिल गई थी ऐसी दशा में प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की जानकारी अनावेदकगण को एक माह में हो चुकी थी । इतना लम्बा विलम्ब अनावेदकगण द्वारा जानबूझकर किया गया । जो म्याद के अंदर मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समवर्ती ओदश पारित किया गया है । आलोच्य आदेश पूर्णत: विधिसंगत व न्यायोचित है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने से आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उनके यहां प्रस्तुत अपील के विलम्ब के संबंध में विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप धारा 4 परिसीमा अधिनियम का आवेदन दिनांक 15-04-2008 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्वीकार किया है । इस अंतरिम आदेश को अपर कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-05-2008 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा भी निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01-02-2014 द्वारा स्थिर रखा गया है । दोनों न्यायालयों

द्वारा पूर्ण विवेचना उपरांत समवर्ती निष्कर्ष निकाला है । चूंकि यदि अपील में विधि का प्रश्न विचारणीय है तो आन मेरिट सुना जाना आवश्यक होता है । ''इस संबंध में न्याय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 (II) MPJR 36 (डीबी सुप्रीम कोर्ट) (जस्टिस आर.सी.लाहोरी एवं जस्टिस डी.एम.धर्माधिकारी ने **म्युनसिपल कार्पोरेशन ग्वालियर विरूद्ध रामचरण मृत वैध प्रतिनिधि द्वारा** में यह करार दिया है कि कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकती । अधिवक्ता द्वारा समर्थित शपथ-पत्र भी इस बारे में अपील में दिया गया । हाईकोर्ट को अपील में विलम्ब क्षमा करने के आवेदन पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, दूसरी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दी कि जहां अपील में विधि का प्रश्न विचारणीय हो वहां अपील आन मेरिट सुनी जाना न्याय हित में होगा) इस निर्णय का तात्पर्य यह है कि पक्षकार आन मेरिट न्याय पास के और अपील वेरूम्याद होने के आधार पर वह न्याय से वंचित नहीं हो सके ।'' इसलिये विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर उपलब्ध रहेगा । इसलिये विलम्ब का विषय बहुत सूक्ष्म हो जाता है । अभी प्रकरण में विधि अनुसार आदेश पारित होना है । इसीलिये अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं होने से स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई का गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-02-2014 स्थिर रखा जाता है ।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर